



F.No.NDC/Genletter/2/2026/ **DEB-359**

दिनांक 27 अगस्त, 2026

परिपत्र / CIRCULAR

सेवा में / To

सभी बीडीएस / एमडीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाले डेंटल कॉलेजों / संस्थानों के प्रमुखों और यूनिवर्सिटीज / डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कुलसचिवों / The Heads of all Dental Colleges/Institutions and Registrars of Universities/ Deemed-to-be Universities conducting BDS/MDS courses

विषय: बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के संबंध में एनडीसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन / Strict compliance with the provisions of the NDC Act, 2023 regarding admission to BDS and MDS courses.

एनडीसी अधिनियम, 2023 देश में दंत चिकित्सा शिक्षा, दाखिले, परीक्षाओं, प्रशिक्षण और दंत चिकित्सा संस्थानों के विनियमन (regulation) के लिए वैधानिक ढांचा (statutory framework) प्रदान करता है। इसलिए, सभी दंत चिकित्सा संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, तथा एनडीसी और इसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस संबंध में, सभी संबंधितों का ध्यान निम्नलिखित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है:

➤ **बीडीएस / एमडीएस में दाखिला**

- इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी दंत चिकित्सा संस्थानों में बीडीएस / एमडीएस पाठ्यक्रमों में सभी दाखिले नीट के माध्यम से किए जाएंगे।

➤ **कॉमन काउंसिलिंग**

- बीडीएस और एमडीएस सीटों पर दाखिला केवल नामित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित निर्धारित कॉमन काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा।
- कोई भी दंत चिकित्सा संस्थान स्वतंत्र रूप से या निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर दाखिला नहीं करेगा।

➤ **न्यूनतम मानक और स्वीकृत दाखिला क्षमता**

- संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि दाखिला केवल स्वीकृत/अनुमोदित दाखिला क्षमता तक ही सीमित हों और किसी भी छात्र / छात्रा को उन सीटों या पाठ्यक्रमों में दाखिला न दिया जाए जिनके लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

Cont'd....2

➤ छात्रों के विवरण का सत्यापन और अपलोडिंग:

- सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दाखिल छात्र के विवरण को सही तरीके से सत्यापित किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर एनडीसी दाखिला पोर्टल पर अपलोड/रिपोर्ट किया जाए।

गैर-अनुपालन के परिणाम

सभी डेंटल कॉलेजों को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि एनडीसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों, या इसके तहत जारी/लागू नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित डेंटल संस्थान के खिलाफ कानून के तहत अनुमत नियामक और दंडात्मक कार्रवाई (regulatory and penal action) की जा सकती है।

धारा 25(1)(f) के तहत, एनडीसी को निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले डेंटल संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ चेतावनी जारी करना;
- ❖ अवैध रूप से दाखिला लेने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम से निष्कासित करना
- ❖ आगामी शैक्षणिक सत्र में अधिनियम/विनियमों का उल्लंघन करके भरी गई सीटों की संख्या को निष्प्रभावी (कम) करना
- ❖ मौद्रिक दंड (आर्थिक जुर्माना) लगाना;
- ❖ दाखिला क्षमता (सीटों) में कटौती करना;
- ❖ दाखिलों पर रोक लगाना; और
- ❖ मान्यता वापस लेने के लिए आयोग को सिफारिश करना

तदनुसार, सभी दंत चिकित्सा संस्थानों के प्रधानाचार्यों (Principals)/डीन (Deans)/प्रमुखों (Heads) से अनुरोध है कि:

- ✓ केवल विधिवत स्वीकृत और अनुमोदित सीटों पर ही छात्रों को दाखिला दें;
- ✓ यह सुनिश्चित करें कि सभी दाखिले, लागू नियमों के अनुसार, निर्धारित नीट-यूजी / नीट-एमडीएस और कॉमन काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाएं।;
- ✓ यह सुनिश्चित करें कि अधिकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर कोई भी दाखिला न दिया जाए;
- ✓ एनडीसी और अन्य नामित प्राधिकारियों को दी गई / अपलोड की गई सभी सूचनाओं की सटीकता सुनिश्चित करें;

The NDC Act, 2023 provides the statutory framework for regulation of dental education, admissions, examinations, training and dental institutions in the country. All dental institutions are, therefore, required to ensure strict compliance with the provisions of the Act, the rules and regulations made there under, and the directions issued by the NDC and its Autonomous Boards.

In this regard, the attention of all concerned is invited to the following provisions:

➤ **Admission to BDS/MDS**

- All admissions to the course of **BDS/MDS** in all dental institutions governed by the Act shall be made **through NEET**.

➤ **Common Counselling**

- Admissions to BDS and MDS seats shall be made only through the prescribed **common counselling process** conducted by the designated authorities.
- No dental institution shall make admissions independently or outside the prescribed counselling process.

➤ **Minimum standards and Approved intake**

- Institutions shall ensure that admissions are restricted to the **sanctioned/approved intake capacity** and that no student is admitted against seats or courses for which the requisite statutory permission has not been granted.

➤ **Verification and uploading of student particulars:**

- All institutions shall ensure that the particulars of every admitted student are correctly verified and uploaded/reported through the NDC admission portal within the stipulated timelines.

Consequences of non-compliance

All dental colleges are hereby cautioned that violation of the provisions of the NDC Act, 2023, or the applicable regulations/directions issued there under, may result in **regulatory and penal action** against the concerned dental institution as permissible under law.

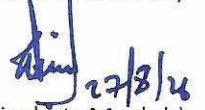
Under **Section 25(1)(f)**, NDC is empowered to take measures against a dental institution for failure to maintain the prescribed minimum essential standards, including:

- ❖ Issuance of warning;
- ❖ Discharge of illegally admitted students
- ❖ Neutralization the number of seats filled up in contravention of the Act/Regulations, in the ensuing academic session
- ❖ Imposition of monetary penalty;
- ❖ Reduction of intake;
- ❖ Stoppage of admissions; and
- ❖ Recommendation to the Commission for withdrawal of recognition.

Accordingly, all Principals/Deans/Heads of Dental Institutions are requested to:

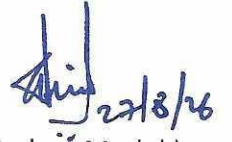
- ✓ Admit students only against duly sanctioned and approved seats;
- ✓ Ensure that all admissions are made through the prescribed NEET-UG /NEET-MDS and Common Counselling mechanism, as applicable;
- ✓ Ensure that no admission is made outside the authorized counselling process;
- ✓ Ensure accuracy of all information furnished/uploaded to the NDC and other designated authorities;

भवदीय / Yours faithfully


(अरिन्दम मोदक / Arindam Modak)
सचिव / Secretary

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षा निदेशक/The Director of Medical Education of all the States/UTs


(अरिन्दम मोदक / Arindam Modak)
सचिव / Secretary

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली/ The Chairperson, National Dental Commission, New Delhi
2. अध्यक्ष के निजी सचिव, यूजीपीजी-डीईबी/डीएआरबी/ईडीआरबी/ P.S. to the President, UGPG-DEB/DARB/EDRB
3. सदस्य, यूजीपीजी-डीईबी/डीएआरबी/ईडीआरबी/ Member of UGPG-DEB/DARB/EDRB
4. वैधानिक अनुभाग, एनडीसी/ Legal Section, NDC
5. आईटी अनुभाग, एनडीसी – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ IT Section, NDC for uploading on website
6. यूजीपीजी-डीईबी – गार्ड फाइल/ UGPG-DEB – Guard File